भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2169** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

सागरमाला के अंतर्गत पत्तन विकास परियोजनाएँ

†2169. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा "सागरमाला परियोजना" के अंतर्गत पूरी की गई पत्तन विकास परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना समर्पित मालवहन गलियारा (डीएफसी), अंतर्देशीय जलमार्ग और रेल मंत्रालय के समन्वय से "मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी" को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यनीतिक कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा पत्तनों पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या हरित पहल की गई है; और

(ङ) क्या उक्त पहल वैश्विक मानकों के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सागरमाला, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसके अंतर्गत भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर लंबे संभावित रूप से नौचालन योग्य जलमार्गों का उपयोग करके देश में पत्तन-आधारित विकास को बढ़ाया जाएगा। सागरमाला योजना के अंतर्गत, मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पत्तन अवसंरचना परियोजनाओं, तटीय बर्थ परियोजनाओं, सड़क एवं रेल परियोजनाओं, मत्स्यन बंदरगाहों, कौशल विकास परियोजनाओं, तटीय सामुदायिक विकास, क्रूज टर्मिनल और रो-पैक्स नौका सेवाओं जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब तक मंत्रालय ने सागरमाला योजना के अंतर्गत आंशिक वित्तपोषण हेतु 9415 करोड़ रुपए की कुल लागत से 121 परियोजनाएँ शुरू की हैं। इनमें से अब तक 77 परियोजनाएँ पूरी की गई हैं।

(ख): वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्त आयोग चक्र के अंत में स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकनकर्ता द्वारा योजना के प्रभाव मूल्यांकन का प्रावधान है।

(ग): सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) के अंतर्गत कार्यनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। इस मास्टर प्लान को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों में अवसंरचना के योजना, मंजूरी और निष्पादन संबंधी कार्यों को एकीकृत करने के लिए अक्तूबर, 2021 में शुरू किया गया था।

(घ) और (ङ): सरकार ने 'हरित सागर; हरित पत्तन दिशा-निर्देश' जारी किए हैं जिसमें महापत्तनों के लिए कार्बन तीव्रता को कम करने और वैश्विक मानकों के अनुरूप महापत्तनों में पर्यावरण के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए विभिन्न हरित पहल करने हेतु रूपरेखा निर्धारित की गई है।

*****